न्यायालय सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर ए एस

वाद संख्या :– 30/2021

शीर्षक

1. गुलाबचंद पुत्र छोटू उम्र 50 वर्ष जाति कुमावत निवासी ग्राम अमरसर तह0 शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

– वादी

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र कल्याण
2. बिरजू पुत्र कल्याण
3. मुकेश पुत्र कल्याण
4. नर्बदा पत्नी कल्याण
5. संतोष पुत्री कल्याण
6. प्रहलाद पुत्र नक्खन (फौत)
   6/1. कैलाशी देवी पत्नी प्रहलाद
   6/2. जितेन्द्र पुत्र प्रहलाद
   6/3. मुकेश पुत्र प्रहलाद
   6/4. सुभाष पुत्र प्रहलाद
   6/5. रवि पुत्र प्रहलाद
   6/6. अंकित पुत्र प्रहलाद
7. मदन पुत्र मंगला
8. पूरण पुत्र मंगला
9. महेश पुत्र मंगला
10. कमली पुत्री मंगला
11. पार्वती पुत्री मंगला
12. मेवा पत्नी बंशी
13. तुलसी पुत्र बंशी
14. सुरेश पुत्र बंशी
15. कमलेश पुत्र बंशी
16. उर्मिला पुत्री बंशी
17. नीना पुत्री बंशी
18. सावित्री पुत्री बंशी

समस्त व्यस्क समस्त जाति कुमावत निवासी ग्राम अमरसर तह0 शाहपुरा जिला जयपुर, (राज.)

19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)

प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट</u>

निर्णय दिनांक 13/10/2023

1. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी ख0न0 354/0.95, 355/0.90, 358/0.46, 359/0.39, 360/0.87, 361/0.97, 364/0.51, 365/0.49 कुल किता 8 कुल रकबा 5.54 है0 भूमि वाके ग्राम अमरसर पटवार हल्का अमरसर, भू.अ.नि. क्षेत्र अमरसर तह. शाहपुरा जयपुर में स्थित है।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

2. यह कि प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 5 के पति व पिता खातेदार कल्याण के नाम राजस्व रिकार्ड मे हिस्सा 1/3 दर्ज है जो फौत हो चुका है तथा खातेदार कोयली देवी पत्नी भूरा का हिस्सा 1/9 व झूमा पत्नी मक्खन का हिस्सा 1/9 राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है जो दोनों ही फौत हो चुके है जिसका एक मात्र जायन्दा वारिस प्रतिवादी सं0 6 प्रहलाद पुत्र मक्खन है। तथा खातेदार मंगला पुत्र छोटू हिस्सा 1/6 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो फौत हो चुका है उसके जायन्दा वारिस प्रतिवादीगण सं0 7 लगायत 18 है तथा खातेदार मंगला का एक पुत्र बंशी भी फौत हो चुका जिसके वारिस प्रतिवादीगण संख्या 12 लगा0 18 है। इस प्रकार वाद पत्र के जिमन नं0 2 मे वर्णित आराजी में वादी का हिस्सा 1/6 व प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 5 का हिस्सा 1/3 व प्रतिवादी सं0 6 का हिस्सा 1/3 व प्रति0 सं0 7 लगायत 18 का हिस्सा 1/6 है। जो अपने अपने हिस्से अनुसार मनबट बंटवारा के आधार पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। तथा आज भी मौके पर अपने अपने हिस्से अनुसार ही काबिज काश्त है।

3. यह कि वादी व प्रतिवादीगण के मध्य वाद पत्र के जिमन नं0 1 में वर्णित आराजी का कानूनी बंटवारा नही हुआ है किंतु अब प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 18 के मन में दुर्भावना आ गयी है और उन्होने वादी के खिलाफ एक नाजायज संगठन बना लिया है तथा वे वादी को उनके कब्जे व काश्त व उपयोग उपभोग में मजाहमत पैदा करने लग गये है एवं आराजी मुतनाजा का बिना बंटवारा कराये ही वाद पत्र के मिन नं0 1 में वर्णित आराजी के विशिष्ट भू–भाग को किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान करने पर आमादा है। जिसका उन्हे कोई हक अधिकार नही है।

4. यह कि आज से सप्ताह भर पूर्व प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 18 आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू–भाग को बेचान किसी अजनबी व्यक्ति को बेच कर उसके पक्ष में आराजी के विशिष्ट भू भाग का अन्तरण डीड पंजीवद्ध करवाकर प्रार्थी को उसके हक हिस्से व कब्जे की भूमि से जबरन बेदखल करेंगे तथा पुख्ता निर्माण कार्य करके रहेंगे तथा वादी के हिस्से की भूमि के बीच में से जबरन रास्ता निकालने पर आमादा हो गये आराजी के विशिष्ट भू-भाग पर अजनबी व्यक्ति का कब्जा करवाकर रहेगे।

5. यह कि प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 18 अपने अवैध मन्सूबे में सफल हो गये और उन्होने वाद पत्र के जिमन नं0 1 में वर्णित आराजी का बिना कानूनी बंटवारा करवाये ही आराजी मुतनाजा पर पुख्ता निर्माण कर लिया या आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू–भाग में जबरन रास्ता निकाल देगे या किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान कर उसके पक्ष में अन्तरण डीड पंजीवद्ध करवाकर जबरन अजनबी व्यक्ति का आराजी के विशिष्ट भू-भाग पर कब्जा करवा देगे तो इससे वादी के खातेदारी हक अधिकारो का हनन होगा जिससे वादी को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से धनराशि के रूप में नही की जा सकेगी तथा पक्षकारो में अनावश्यक रूप में मुकदमे बाजी बढेगी इस कारण वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्व उक्त वाद पत्र बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।

6. यह कि बिनाय दावा वाद पत्र के जिमन नं0 1 में वर्णित प्रकार से आराजी मुतनाजा वादी एवं प्रतिवादीगण सहखातेदारी भूमि होने एवं प्रतिवादीगण द्वारा बिना कानूनी बंटवारा करवाये ही आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू–भाग पर निर्माण कार्य करने पर आमादा होने तथा वादी के हिस्से की भूमि के बीच में से रास्ता निकालने पर आमादा होने तथा वादी को उसकी भूमि से जबरन बेदखल करने की धमकी दिये जाने से पैदा होकर दावा अन्दर मियादी पेश है।

7. अन्त में निवेदन किया कि हाल आराजी ख0न0 354/0.95, 355/0.90, 358/0.46, 359/0.39, 360/0.87, 361/0.97, 364/0.51, 365/0.49 कुल किता 8 कुल रकबा 5.54 हे0 भूमि वाकै ग्राम अमरसर पटवार हल्का अमरसर, भू.अ.नि. क्षेत्र अमरसर तह. शाहपुरा जयपुर में स्थित भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 18 के मध्य सरस नरस व राजस्व नियमावली के मुताबिक खातेदार काश्तकारो द्वारा पूर्व में किये गये मनबट बंटवारे के आधार पर व मौके पर कब्जे काश्त के आधार पर व खातेदारो के राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जाकर उक्त बंटवारा का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे तथा वादी को उसके बंटवारे में आयी भूमि का अलग से कब्जा करवाया जावे एवं यह कि प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 18 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादी के बंटवारे में आयी भूमि के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा या अडचन पैदा नही करे तथा वादी के हिस्से की भूमि में जबरन रास्ता नही निकाले एवं आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू भाग पर किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण कार्य नही करे।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

8\. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए गये। दिनांक 20.04.2022 को वकील वादी का प्रार्थना पत्र कायम मुकाम का स्वीकार किया गया। वकील वादी ने संशोधित टाईटल पेश किया। प्रतिवादीगण की तामील रजिस्टर्ड डाक से करवाने के पश्चात् भी प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं आये। दिनांक 04.01.2023 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध बावजुद सूचना के अनुपस्थित रहने पर विधिवत एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गयी एवं प्रकरण में वकील वादी ने दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा से बंटवारा प्रस्ताव मगवाये जाने हेतु निवेदन किया ।

प्रकरण में दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को बंटवारा प्रस्ताव भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया । तहसीलदार शाहपुरा ने अपने पत्र कमांक भू०अ० / 2023 / 1187 दिनांक 04.04.2023 के द्वारा बंटवारा प्रस्ताव प्रेषित किया गया । दिनांक 28.08.2023 को प्रतिवादी सं0 6 की ओर से अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र आदेश 09 नियम 07 151 सीपीसी पेश किया गया। उक्त प्रार्थना–पत्र पर दिनाक 04.09.2023 को वकील उभयपक्ष को सुना गया। उक्त प्रार्थना–पत्र रूपये 500/– कोस्ट पर कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति पेश करने के स्तर पर स्वीकार किया गया। दिनांक 11.09.2023 को वकील प्रतिवादी ने कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति जाहिर की। वकील वादी ने उपस्थित होकर मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार दावा अंतिम डिक्री किए जाने का निवेदन किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद सुनवाई आपत्ति प्रार्थना–पत्र कुर्रेजात रिपोर्ट सारहीन होने से खारिज किया जाता है। तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया बंटवारा प्रस्ताव सही होना प्रतीत होता है। बंटवारा प्रस्ताव सही होने से दावा अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है कि हाल आराजी ख0न0 354/0.95, 355/0.90, 358/0.46, 359/0.39, 360/0.87, 361/0.97, 364/0.51, 365/0.49 कुल किता 8 कुल रकबा 5.54 है0 भूमि वाके ग्राम अमरसर पटवार हल्का अमरसर, भू.अ.नि. क्षेत्र अमरसर तह. शाहपुरा जयपुर में खातेदारान के मध्य बंटवारा निम्नानुसार कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

1. गुलाबचन्द पुत्र बोदू जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0 देह का हिस्सा आ0ख0 न0 358 रकबा 0.46 है0, 359 रकबा 0.39 है0, 360/1 रकबा 0.0697 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.9197 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।
2. कल्याण पुत्र बद्री हि0 1/3, गुलाबचन्द पुत्र छोटू हि0 1/6, प्रहलाद पुत्र मक्खन हि0 1/9, कोयली पत्नी भूरा हि0 1/9, झूमा पत्नी मक्खन हि0 1/9, मंगला पुत्र छोटू हि0 1/6 जाति कुम्हार (प्रजापति) का हिस्सा आ0ख0 न0 360/2 रकबा 0.0120 है0, 361/1 रकबा 0.0098 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.0218 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।
3. कल्याण पुत्र बद्री हि0 2/5, प्रहलाद पुत्र मक्खन हि0 2/15, कोयली पत्नी भूरा हि0 2/15, झूमा पत्नी मक्खन हि0 2/15, मंगला पुत्र छोटू हि0 1/5 जाति कुम्हार (प्रजापति) का हिस्सा आ0ख0 न0 354 रकबा 0.95 है0, 355 रकबा 0.90 है0, 360/3 रकबा 0.7883 है0, 364 रकबा 0.51 है0, 365 रकबा 0.49 है0, 361/2 रकबा 0.9602 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 4.5985 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

(मुहर: न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज. — सत्यमेव जयते)

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा / कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। वादीगण /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे से आई भूमि में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें। तदानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। । पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19/10/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(हस्ताक्षर)
(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण

(मुहर: सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर))

नोट:- उक्त प्रकरण के निर्णय दिनांक 19.10.2023 के पेश नदारद

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

P.T.O.

प्रपत्र – 3

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी – श्री अशोक कुमार आर ए एस

वाद संख्या – 30 / 2021

शीर्षक

1. गुलाबचंद पुत्र छोटू उम्र 50 वर्ष जाति कुमावत निवासी ग्राम अमरसर तह0 शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

– वादी

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र कल्याण
2. बिरदू पुत्र कल्याण
3. मुकेश पुत्र कल्याण
4. नर्बदा पत्नी कल्याण
5. संतोष पुत्री कल्याण
6. प्रहलाद पुत्र मक्खन (फौत)
   6/1. कैलाशी देवी पत्नी प्रहलाद
   6/2. जितेन्द्र पुत्र प्रहलाद
   6/3. मुकेश पुत्र प्रहलाद
   6/4. सुभाष पुत्र प्रहलाद
   6/5. रवि पुत्र प्रहलाद
   6/6. अंकित पुत्र प्रहलाद
7. मदन पुत्र नंगला
8. पूरण पुत्र नंगला
9. महेश पुत्र नंगला
10. कमली पुत्री नंगला
11. पार्वती पुत्री नंगला
12. नेवा पत्नी बंशी
13. तुलसी पुत्र बंशी
14. सुरेश पुत्र बंशी
15. कमलेश पुत्र बंशी
16. उर्मिला पुत्री बंशी
17. मीना पुत्री बंशी
18. सावित्री पुत्री बंशी

समस्त व्यस्क समस्त जाति कुमावत निवासी ग्राम अमरसर तह0 शाहपुरा जिला जयपुर, (राज.)

19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)

प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट</u>

निर्णय दिनांक 19/10/23

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है कि हाल आराजी ख0न0 354/0.95, 355/0.90, 358/0.46, 359/0.39, 360/0.87, 361/0.97, 364/0.51, 365/0.49 कुल किता 8 कुल रकबा 5.54 है0 भूमि वाके ग्राम अमरसर पटवार हल्का अमरसर, भू.अ.नि. क्षेत्र अमरसर तह. शाहपुरा जयपुर में खातेदारान के मध्य बंटवारा निम्नानुसार कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

सहायक कलक्टर

शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

छोटू

1. गुलाबचन्द पुत्र बोदू जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0 देह का हिस्सा आ0ख0 न0 358 रकबा 0.46 है0, 359 रकबा 0.39 है0, 360/1 रकबा 0.0697 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.9197 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।
2. कल्याण पुत्र बद्री हि0 1/3, गुलाबचन्द पुत्र छोटू हि0 1/6, प्रहलाद पुत्र मक्खन हि0 1/9, कोयली पत्नी भूरा हि0 1/9, झूमा पत्नी मक्खन हि0 1/9, मंगला पुत्र छोटू हि0 1/6 जाति कुम्हार (प्रजापति) का हिस्सा आ0ख0 न0 360/2 रकबा 0.0120 है0, 361/1 रकबा 0.0098 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.0218 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।
3. कल्याण पुत्र बद्री हि0 2/5, प्रहलाद पुत्र मक्खन हि0 2/15, कोयली पत्नी भूरा हि0 2/15, झूमा पत्नी मक्खन हि0 2/15, मंगला पुत्र छोटू हि0 1/5 जाति कुम्हार (प्रजापति) का हिस्सा आ0ख0 न0 354 रकबा 0.95 है0, 355 रकबा 0.90 है0, 360/3 रकबा 0.7883 है0, 364 रकबा 0.51 है0, 365 रकबा 0.49 है0, 361/2 रकबा 0.9602 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 4.5985 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। वादीगण /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे से आई भूमि में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । तदानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें।

निर्णय आज तारीख 19/10/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.
सत्यमेव जयते

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	

नोट :- उक्त डिक्री दिनांक 19.10 2023 के पेज नंबर 2 के क्रम सं. 1 में गुलाब चन्द पुत्र बोदू के स्थान पर संशोधन किया जाकर गुलाबचन्द पुत्र छोटू पढ़ा जावे।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.